रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-14/2017/1461/22-2-2016-17(206)/2015

लखनऊ:दिनांक: 03 जनवरी, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद** के सिद्धदोष **बन्दी रामभजन (बन्दी संख्या-4418) पुत्र श्री रामनरायन, निवासी-सेंहगो, थाना-शिवगढ, जिला-रायबरेली** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-186/78** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-148, 302** के अधीन **दिनांक 08-08-2007** को मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली द्वारा दिनांक 17-05-1979 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था तथा बन्दी द्वारा दिनांक 09-08-2016 तक काटी गयी 16 वर्ष, 03 माह, 28 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष, 05 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को **जिला मजिस्ट्रेट**, **रायबरेली** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-14/2017/1461(1)/22-2-2016 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2-जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली ।

3-पुलिस अधीक्षक, रायबरेली ।

4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in